

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
Email-revenue.cg@gov.in

// आदेश //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक **02 MAY 2025**

क्रमांक ESTB-102(3)/30/2025-REVENUE —— राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2023 के माध्यम से नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की चयन सूची क्रमांक 131/06/चयन/2024, दिनांक 29.11.2024 में चयनित निम्नलिखित उम्मीदवार को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, प्रथमतः **03 वर्ष** की परिवीक्षा पर नायब तहसीलदार के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (वेतन बैंड 9300–34800 ग्रेड पे 4200) में नियुक्त किया जाता है। नियुक्त अधिकारी की सेवायें वित्त विभाग के निर्देश 571/260/वि/नि/चार/2020, दिनांक 12/09/2023 के अध्याधीन रहेगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान के न्यूनतम पर वेतन नियत किया जाएगा। चयनित नायब तहसीलदार को निम्नांकित तालिका में, उन्हें उनके नाम के समक्ष कॉलम—(5) में दर्शाए गए जिले में पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	चयन सूची अनुसार वरीयता क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं वर्तमान डाक पता	श्रेणी	पदस्थापना कार्यालय एवं जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	27	श्री प्रेमनारायण, पता— भगवानी राम साहू, गीता चाल शोभा वाटिका के पास, वार्ड क्र. 07, लोरमी, जिला मुंगेली (छ.ग.), 495115	अ.पि.व. (PHLV)	कार्यालय कलेक्टर जिला— कबीरधाम

2/ उपरोक्त नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी.) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

3/ उपरोक्त परिवीक्षाधीन नायब तहसीलदारों को जब प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति प्रशासन अकादमी निमोरा, रायपुर में देंगे एवं प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

4/ परिवीक्षाधीन नायब तहसीलदार को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण प्रशासन अकादमी, निमोरा रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यतः सम्मिलित होकर, परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर नायब तहसीलदार को अकादमी के आगामी प्रशिक्षण में पुनः सम्मिलित होकर, परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे।

5/ परिवीक्षाधीन नायब तहसीलदार को परिवीक्षा अवधि में निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होगी। नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकेगा, जो अधिकारी उपर्युक्त अनुसार विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे अथवा जो सेवा के लिए अनुपयुक्त पाए जाएंगे, उनकी सेवाएं परिवीक्षा अवधि के अंत में समाप्त की जा सकेगी। परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाएं परिवीक्षा अवधि के दौरान भी समाप्त की जा सकेगी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में उसका उपयुक्त शासकीय कर्मचारी बनना संभव न हो।

6/ उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, रथाईकरण, वरिष्ठता आदि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासकीय सेवा भर्ती नियम 1980 के अंतर्गत शासित होगी।

7/ अभ्यर्थी की नियुक्ति पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है अथवा उसके द्वारा किसी भी प्रकार का प्रमाण—पत्र असत्य पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताये, उसकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार दावेदारी का हकदार नहीं होगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।

8/ अभ्यर्थी की नियुक्ति जिला मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण—पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है। अतः अभ्यर्थी मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तत्काल संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाए जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जाएंगी।

9/ परिवीक्षा पर नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निर्धारित प्रारूप में एक बाण्ड शासन के हित में निष्पादित करना होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पार न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई समस्त राशि, जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा। (बाण्ड का प्रारूप संलग्न है)

10/ प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पद के संबंध में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

Digitally signed by
ANVESH GHRITLAHRE
Date: 02-05-2025
12:07:39
(अन्वेष घृतलहरे)

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ.क्रमांक ESTB-102(3)/30/2025-REVENUE नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02 MAY 2025
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
2. महालेखाकार, जीरो पाईन्ट, विधानसभा रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर के पत्र क्रमांक 4553/06/चयन/2024/15, दिनांक 11.12.2024 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
7. संभागायुक्त, संभाग दुर्ग छत्तीसगढ़।
8. संचालक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा, रायपुर, छ0ग0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर निवेदन है कि भविष्य में आयोजित होने वाले आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।
9. आयुक्त, भू-अभिलेख, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग।।
10. संचालक, जनसंपर्क, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग।।

11. कलेक्टर, जिला कबीरधाम छ.ग। उक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व मूल जाति प्रमाण—पत्र, निवास प्रमाण—पत्र, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य प्रमाण—पत्रों की सूक्ष्मता से जांच की जाए और पूर्ण संतुष्टि के उपरांत ही कार्यभार ग्रहण करायें। यदि किसी अभ्यर्थी के संबंध में जांच के दौरान कोई विपरीत तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण न कराकर उनके प्रकरण उचित मार्गदर्शन हेतु इस विभाग को प्रेषित करें। कृपया संबंधित से कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व बॉण्ड फार्म भरवाकर इस विभाग को भेजें।
12. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग।
13. जिला कोषालय अधिकारी, छ.ग।
14. संबंधित अभ्यर्थी श्री प्रेमनारायण को निर्देशित किया जाता है कि आप आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर संबंधित जिले में कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करते समय शैक्षणिक अर्हता, जाति, निवास आदि संबंधी मूल—दस्तावेज संबंधित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करें, ताकि कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मूल प्रमाण—पत्रों की जांच कलेक्टर द्वारा की जा सके। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर, आपकी जिले में उपस्थिति इस विभाग के पूर्व अनुमति के स्वीकार नहीं की जावेगी, साथ ही यदि यह नियुक्ति आपको स्वीकार/अस्वीकार हो, तो कृपया इस आदेश के पावती के साथ सहमति/असहमति भी तत्काल इस विभाग को भेजें।
15. व्यक्तिगत नस्ती/गार्ड फाइल
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(टीप :— आदेश, राजस्व विभाग की वेबसाइट <http://cg.nic.in/revenue/> पर उपलब्ध है)

Digitally signed by
"LEENA RAKESH"
Date: 02-05-2025
12:31:34

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

The Governor of Chhattisgarh

WHERE AS, I..... R/o.....
 S/o..... probationer in the TUTOR
 Administrative Service (Hereinafter referred to as the probationer)
 being entitled to receive from the Governor (Hereinafter) referred
 to as the State Government Pay and allowances during the period
 in which I am under probation.

Now We, the probationer..... R/o.....
 S/o..... R/o..... (surety)
 and Shri..... R/o.....
 S/o..... (hereinafter referred to as surety) jointly
 and severally, do hereby promise and agree in the event of the
 failure of the probationer to complete probation to the satisfaction
 of the State Government, to refund the State Government on
 demand any money paid to him during his probation period
 including the pay and travelling expenses to join appointment.

The surety hereby agrees that his liability hereunder
 shall not be effected by the State Government extending the period
 of probation or giving the probationer an extention of time for
 payment of compounding the amount hereunder

Contd...2

(161)

//2//

"Stamp duty payable on this bond shall be borne and paid by the Government."

Dated this day of 20.....

Signature of probationer.....

Full Name.....

Signed by probationer in the presence of

Name of witness.....

&

Signature.....

Address.....

Occupation.....

Name and signature of the surety

Signed by surety in the presence of

Name of witness & Signature.....

Address.....

Occupation.....